



## COFMOW (INDIAN RAILWAYS)

Railway Offices Complex, Tilak Bridge, New Delhi – 110002, INDIA  
1-11-23378344, FAX: 91-11-23370347. WEBSITE: [www.cofmow.gov.in](http://www.cofmow.gov.in)

### IMPORTANT NOTICE DATED:01.08.2017

In view of implementation of GST from 01-07-2017 onwards, the general public and vendors dealing with COFMOW are informed that:

- Railw Board has launched a website <http://www.indianrailways.gov.in/GST/index.html> all the information related GST pertaining to Indian Railways have been made available on this website.
- Necessary modifications have been made in IREPS application to facilitate the vendors to submit their offers in compliance with GST Act. Please visit the website [www.ireps.gov.in](http://www.ireps.gov.in) and follow instructions available there.
- Vendors are advised mention following information while raising their invoices / bills in addition to Description of Goods or services, contract No., Bill No, quantity, unit and total value:
  - i. Name, address and your GST Identification Number (GSTIN)
  - ii. Date of issue of the invoice
  - iii. Name, address and GSTIN of the consignee (state wise GSTIN of Railways are available at [http://www.indianrailways.gov.in/GST/Tin\\_Numbers.pdf](http://www.indianrailways.gov.in/GST/Tin_Numbers.pdf))
  - iv. HSN code (for Goods) and accounting Code (for services)
  - v. Taxable value, rate of tax (CGST, GST, IGST, UTGST or cess), amount of tax charges in respect of taxable Goods or Services and
  - vi. Place of supply alongwith the name of state.
  - vii. Whether the tax is payable on reverse charge basis

Principal Chief Materials Manager.

**“Serving Customers with a Smile.”**



कोफमो (भारतीय रेल)

(रेलवे ऑफिस कॉम्प्लेक्स, तिलक ब्रिज, नई दिल्ली -) 110002 भारत  
फोन: 91-11-23378344, फैक्स: 91-11-23370347. वेबसाइट: [www.cofmow.gov.in](http://www.cofmow.gov.in)

आवश्यक सूचना दिनांक - 01.08.2017

01-07-2017 से जी एस टी लागू हो जाने के द्रष्टिगत काफमाओ के साथ काम करने वाले विक्रेताओं एवं जनसामान्य को सूचित किया जाता है कि:

- जीएसटी से सम्बंधित जानकारी उपलब्ध कराने के लिये रेलवे बोर्ड ने एक वेबसाइट <http://www.indianrailways.gov.in/GST/index.html> तैयार की है जिस पर रेलवे में जीएसटी से संबंधित सभी जानकारी उपलब्ध है.
- आईआरपीएस प्रणाली में सभी आवश्यक संशोधन कर दिये गये हैं ताकि विक्रेता जीएसटी एक्ट के अनुरूप अपने प्रस्ताव भर सकें. कृपय: [www.ireps.gov.in](http://www.ireps.gov.in) पर जायें एवं वहाँ दिये गये निर्देशों का अनुसरण करें.
- विक्रेताओं से अनुरोध है कि वे अपने बिलों एवं इन्वाइसों पर सामग्री अथवा सेवा का विवरण, ठेका / संविदा की संख्या, बिल की संख्या, मात्रा, इकाई एवं कुल मूल्य के अलावा निम्न सूचना अवश्य अंकित करें :
  - i. विक्रेता का नाम, पता एवं जीएसटी पहचान संख्या (जीएसटीआईएन )
  - ii. इन्वाइस जारी करने की तिथि ।
  - iii. प्रेषिती का नाम ,पता एवं जीएसटीआईएन(रेलवे के जीएसटीआईएन राज्य वार वेबसाइट at <http://www.indianrailways.gov.in/GST/Tin Numbers.pdf> पर उपलब्ध हैं ।
  - iv. एचएसएन कोड ( वस्तुओं के लिए ) एवं लेखांकन कोड (सेवा के लिए )
  - v. कर योग्य मूल्य, कर की दर (सीजीएसटी, जीएसटी ,आईजीएसटी ,युटीजीएसटी ,या उपकर ) कर योग्य वस्तु या सेवा पर लागु कर की राशि ।
  - vi. राज्य के नाम के साथ मशीन आपूर्ति का स्थान ।
  - vii. क्या कर का भुगतान रिवर्स चार्ज बेसिस पर होना हैं ।

प्रिंसिपल मु.सामग्री प्रबन्धक

“ग्राहकों की सेवा में मुस्कान के साथ”